स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक/146 /भू–अर्जन/2018 सिंगरौली, दिनांक 28/4/2018

प्रति,

उपखण्ड अधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी,
देवसर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

विषय– संशोधित पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन अनुदान नीति के प्रस्तुतीकरण विषयक।

संदर्भः– कमिश्नर महोदय का पत्र क्र. राजस्व 4/3/2018/1175 रीवा दिनांक 20.03.2018

–000–

विषयांतर्गत ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल माइन के लिये संशोधित पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन अनुदान नीति वर्ष 2018 का अनुमोदन कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रदान किया गया है।

अतः अनुमोदित पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन अनुदान नीति वर्ष 2018 संलग्न कर प्रेषित है। कृपया प्रस्ताव अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
जिला–सिंगरौली (म0प्र0)
सिंगरौली, दिनांक 28/4/2018

पृ. क्रमांक/147/भू–अर्जन/2018

प्रतिलिपिः–

वाइस चेयरमैन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर ए.पी.एम.डी.सी. सुलियरी कोल माइन जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ अग्रेसित।

कलेक्टर
जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

कार्यालय कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

क्रमांक राजस्व/4/3/2018/ 1175 रीवा, दिनांक 20/3/2018

प्रति,

कलेक्टर,
जिला सिंगरौली।

विषय :– संशोधित पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन अनुदान नीति के प्रस्तुतीकरण विषयक।

संदर्भ :– आपका पत्र क0 63/भू–अर्जन/2018 सिंगरौली दिनांक 23.02.2018

.––0––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला सिंगरौली के सुलियारी कोल माइन के वर्ष 2012 में तैयार की गई पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन अनुदान नीति को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधित कर वर्ष 2018 के लिए संशोधित पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन अनुदान नीति तैयार कर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई हैं।

अतः आपके संदर्भित पत्रानुसार प्रेषित सुलियारी कोल माइन जिला सिंगरौली के लिए पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन अनुदान नीति वर्ष 2018 का कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा अनुमोदन किया गया है। संदर्भानुसार प्राप्त अनुदान नीति वर्ष 2018 अनुमोदन पश्चात मूलतः संलग्न कर वापस की जाती है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार मूलतः।

(पी0एस0 त्रिपाठी)
डिप्टी कमिश्नर (राजस्व)
रीवा संभाग, रीवा

आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड हैदराबाद

सुलियरी कोल माइन जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

के लिए

संशोधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अनुदान नीति

वर्ष–2018

प्रस्तावना–

भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली के ओदश दिनांक– 25 जुलाई 2007 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले की सिंगरौली तहसील वर्तमान में सरई तहसील स्थिति सुलियरी कोल ब्लाक आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलमेन्ट कार्पोरेशन हैदराबाद को कोयला उत्खनन के लिये आवंटित किया गया था। इस कोल ब्लाक से तहसील–सरई के ग्राम–झलरी, आमड़ाड, मझौलीपाठ, बेलवार, सिरसवाह, अमरई खोह, धिरौली, बजौड़ी, डोगरी एवं पुनर्वास के लिए चयनित ग्राम–खनुआ नया टोला प्रभावित हो रहे है। कोल आवंटन आदेश प्राप्त होने के पश्चात In Situ Enviro Care M.P. Nagar Bhopal से इस कम्पनी द्वारा प्रभावित सभी ग्रामो का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया जिसका प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इस परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारो की कुल संख्या 1341 बताई गई है। इन विस्थापितो के पुनर्वास के लिए ग्राम खनुआ नया टोला की निजी एवं शासकीय भूमि कुल 123.50 हे0 का अर्जन/आवंटन प्रस्तावित है।

परियोजना क्षेत्र के विस्थापितो/प्रभावितो को पुनर्वास लाभ दिये जाने के संबंध में मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 को आधार मानते हुए इस परियोजना द्वारा वर्ष 2012 में पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन अनुदान नीति तैयार की गई थी, जो कलेक्टर जिला सिंगरौली एवं मुख्य परियोजना अधिकारी ए0पी0एम0डी0सी0 के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 120/2012 आदेश दिनांक– 24.09.2014 मे पारित आदेश द्वारा पूर्व मे आवंटित कोल ब्लाको के आवंटन निरस्त किये जाने से सुलियरी कोल ब्लाक भी प्रभावित था।

भारत सरकार कोलया मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 29.09.2016 द्वारा सुलियरी कोल माइन कोयला उत्खनन के लिए पुनः आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलमेन्ट कार्पोरेशन हैदराबाद को आवंटित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोल ब्लाक आवंटन निरस्त किये जाने एवं कोल ब्लाक पुनः आवंटित किये जाने के मध्य दो वर्शो के अन्तराल मे आये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्श 2012 में तैयार की गई, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक हो गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2007 एवं भू–अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थान मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 मे समाविष्ट प्रावधानो को दृष्टिगत रखते हुए आन्ध्र प्रदेश मिंनरल डेवलमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्श 2012 मे तैयार की गई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अनुदान नीति मे संशोधन किया जाकर परियोजना के विस्थापितो/ प्रभावितो को समुचित विस्थापन लाभ दिये जाने की नीति तैयार की गई है।

नोट– इस नीति के प्रभावशील होने के दिनांक से वर्श 2012 में इस परियोजना द्वारा जारी की गई पुनर्वास/पुनर्स्थापन अनुदान नीति भून्यवत हो जावेगी।

भाग–1

परिभाषाएँ–

01. **कम्पनी**– कम्पनी से तात्पर्य ए0पी0एम0डी0सी0 सुलियरी कोल माइन जिला सिंगरौली से है।

02. **प्रभावित क्षेत्र**– प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे गॉव या बस्ती से है जिसमे परियोजना स्थापित करने के लिए निजी एवं शासकीय भूमियो का चयन किया गया है, चाहे इन निजी भूमियों का अर्जन भू–अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानो के तहत किया गया हो या सीधे भूमिस्वामियों से क्रय किया गया हो, या शासन के द्वारा शासकीय भूमि आवंटित की गई हों। यदि कंपनी क्षेत्र के किसी भू–भाग को छोड़ती है या अतिरिक्त क्षेत्र को अर्जित करती है तो अर्जन से प्रभावित अतिरिक्त भू–भाग भी प्रभावित क्षेत्र माना जावेगा, किन्तु जो भू–भाग परियोजना से छोड़ा जा रहा है वह क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र नही माना जावेगा। जिसे राजस्व अभिलेख नक्शा एवं खसरा मे चिन्हित किया गया हो।

03. **विस्थापित व्यक्ति**– कोई व्यक्ति जो उस क्षेत्र में जिसके स्थाई या अस्थाई रूप से परियोजना से प्रभावित होने की संभावना है या परियोजना के धारा 4 के अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीन वर्श पूर्व से साधारणतया रहा है, या कोई व्यापार धन्धा आजिविका के लिये कार्य करता रहा हों।

04. **विस्थापित परिवार**–

(क)– उपयुक्त (कण्डिका 3 मे) परिभाशित विस्थापित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमे पति, पत्नी तथा नाबालिक बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ–विधवा मॉ, विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता–पिता सामिल है।

(ख)– विस्थापित परिवार के प्रत्येक बालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन एवं भाई जो भू–अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के दिनांक को बालिक हो गया है वह पृथक एक परिवार के रूप मे माना जावेगा। विधवा मॉ एवं उसके नाबालिक बच्चो को भी एक पृथक इकाई माना जावेगा।

(ग)– यदि कम्पनी द्वारा भूमि स्वामियों से सीधे भूमि क्रय की गई है तथा उस भूमि का भू–अर्जन नही किया गया है तो भूमि की रजिस्ट्री दिनांक को कट आफ दिनांक माना जावेगा तथा उस परिवार के लिये परिवार की परिभाशा इस नीति के कण्डिका 4 (क) के अनुसार मान्य की जावेगी।

(घ)–परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ऐसे अनाथ नाबालिक बच्चो (जिनके माता–पिता न हो) को पुनर्वास लाभ दिये जाने के लिये एक अलग यूनिट माना जावेगा।

05. **प्रभावित व्यक्ति**–

ऐसा व्यक्ति जो अर्जन क्षेत्र में स्थित भूमि पर धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के 03 वर्श पूर्व से भूमि पर खेती करता है किन्तु उस ग्राम मे स्थाई या अस्थाई रूप से निवास नही करता है।

06. प्रभावित परिवार–

उपयुक्त (कण्डिका 05 मे) परिभाशित प्रभावित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमे पति, पत्नी तथा नाबालिक बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ–विधवा मॉ, विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता–पिता सामिल है।

07. परियोजना के प्रभावितो की श्रेणी–

(क)–ऐसे परिवार जो परियोजना क्षेत्र मे धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक के पूर्व लगातार तीन वर्ष से निजी भूमि या शासकीय भूमि मे स्वयं का मकान बनाकर निवास कर रहे हो तथा खेती द्वारा अपने परिवार का जीविको पार्जन करते हों।

(ख)–ऐसे परिवार जो धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के पूर्व परियोजना प्रभावित क्षेत्र मे लगातार तीन वर्ष से खेती कर रहा हो किन्तु ग्राम मे स्थाई या अस्थाई रूप से निवास नही कर रहा हो और भू–अर्जन मे उसकी भूमि अधिग्रहीत कर ली गई हो किन्तु अधिग्रहण के बाद भी उसके स्वत्व की कुछ भूमियॉ शेष बच रही हो।

(ग)–ऐसे परिवार जो धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के पूर्व परियोजना प्रभावित क्षेत्र मे लगातर तीन वर्ष से खेती कर रहा हो। किन्तु ग्राम मे स्थाई या अस्थाई रूप से निवास नही कर रहा हो, और उसकी सम्पूर्ण भूमि परियोजना के लिये अर्जित कर ली गई हो।

(घ)–ऐसे परिवार जो धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से स्वयं के मकान या किराये के मकान मे स्थाई रूप से ग्राम मे निवास कर कोई लघु उद्योग, व्यापार, या कोई अन्य उद्यम कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो।

(ड0)–ऐसा कृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम मे निवास कर खेती से जुड़े हुए कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हो।

(च)–ऐसे अकृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से खेती से जुड़े हुए कार्य तो नही करते किन्तु उस ग्राम

मे निवास कर कृषको से जुड़े हुए अन्य कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

(छ)–ऐसे अनुसूचित जाति या जनजाति के परिवार जो धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम मे स्थाई रूप से निवास कर कृषि कार्य तो नही करते किन्तु वनोपज द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

08. **पुनर्वास अनुदान की शर्ते**–कण्डिका 07 मे वर्गीकृत विस्थापित/प्रभावित परिवार, यदि उक्त मे से एक या एक से अधिक श्रेणी मे आते है तो उन्हें एक ही श्रेणी से विस्थापित/प्रभावित मानकर पुनर्वास लाभ दिये जाने हेतु पात्र समझा जावेगा।

भाग–2
(व्यक्तिगत लाभ)

01. **पुनर्वास अनुदान–**

(अ)–पुनर्वास अनुदान के रूप मे एक विस्थापित परिवार को (मकान खाली करने के दिनांक को) 300 कार्य दिवस की भासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम कृशि मजदूरी (MAW) की दर से परिगणित राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा।

(ब)–विशेष पुनर्वास अनुदान–

01. भूमिहीन, कृशि मजदूर विस्थापित परिवार को 3500 रू0 प्रति परिवार प्रति माह। (विस्थापन दिनांक से 03 वर्श की अवधि तक)
02. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भूमिस्वामी या अन्य परिवार 3500 प्रति विस्थापित परिवार प्रति माह। (विस्थापन दिनांक से 03 वर्श की अवधि तक)

02. **(अ–1)–मकान/प्लाट का आवंटन**–परियोजना से विस्थापित परिवार को 90X60 वर्ग फुट का प्लाट पुनर्वास के लिए चयनित ग्राम खनुआ नया टोला मे दिया जावेगा। जिसमे कम्पनी के द्वारा मकान का निर्माण कराया जावेगा, यदि विस्थापित परिवार के द्वारा कम्पनी द्वारा निर्मित मकान नही लिया जाता है तो उसके एवज में मकान निर्माण के लिए 5.00 लाख रू0 कम्पनी द्वारा देय होगा। यदि कोई परिवार पुनर्वास कालोनी में प्लाट नही लेना चाहता है तो उसे प्लाट के बदले 2.00 लाख की राशि का भुगतान किया जावेगा।

03. यदि कोई विस्थापित परिवार प्लाट एवं मकान दोनो नहीं लेना चाहता है तो उसे प्लाट के बदले **2.00 लाख** रू0 एवं मकान के बदले **5.00 लाख** रू0 देय होगा। कुल मिलाकर **7.00 लाख** रू0 देय होगा।

(अ–2)– कैटल शैड हेतु अनुदान–विस्थापितो के मवेशियो को रहने के लिए कैटल भौड बनाने हेतु कंपनी द्वारा **50,000/–(पच्चास हजार)** एक मुश्त राशि प्रत्येक विस्थापित परिवार को देय होगी।

(ब) प्लाट का स्वत्वाधिकार– पुनर्वास कालोनी में विस्थापितो को कंपनी के आवंटन पत्र के आधार पर संबंधित तहसीलदार द्वारा विहित प्रारूप पर पट्टा जारी किया जावेगा। जिस पर विस्थापित व्यक्ति को भूमि स्वामी के समस्त अधिकार प्राप्त होगें एवं तहसीलदार के द्वारा जारी पट्टे के आधार पर नामान्तरण किया जा सकेगा। पट्टेदार भूमिस्वामी को विधि अनुसार भूमि के अन्तरण का अधिकार होगा।

04. **निःशुल्क परिवहन व्यवस्था तथा परिवहन व्यय**–विस्थापित परिवार का घरेलू सामान, विल्डिंग मटेरियल, चल सम्पत्ति, पालतू जानवर, कृशि औजार, कृशि पैदावार एवं उसके परिवार के परिवहन की व्यवस्था कम्पनी द्वारा निःशुल्क की जावेगी, इसके अतिरिक्त बतौर परिवहन व्यय कम्पनी द्वारा विस्थापित परिवार के मुखिया को एक मुश्त **50,000/– (पचास हजार)** रू0 की आर्थिक सहायता दी जावेगी।

05. **वृद्धावस्था पेंशन**–प्रत्येक विस्थापित परिवार के महिला एवं पुरूश सदस्य जिसकी उम्र एवार्ड पारित दिनांक को **55 वर्ष** की हो चुकी है उन्हें प्रतिमाह **2000/– (दो हजार)** रू0।

06. **शिक्षा एवं छात्रवृत्ति**– परियोजना क्षेत्र से विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार के बच्चो के अध्ययन के लिये खेल के मैदान सहित सर्व सुविधा युक्त हायर सेकेन्डरी स्तर बना विद्यालय भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा पुनर्वास ग्राम खनुआ नया टोला मे कराया जावेगा। इस विद्यालय मे कक्षा 01 से कक्षा 12 तक के अध्ययन करने वाले बच्चो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी, तथा विस्थापित/प्रभावित परिवार के अध्ययन करने वाले प्रत्येक बच्चे को पुस्तके, लेखन सामग्री, स्कूल यूनीफार्म की व्यवस्था कम्पनी द्वारा निःशुल्क की जावेगी। विद्यालय मे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियो को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी द्वारा प्रतिमाह निम्नानुसार छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जावेगी–

कक्षा	बालक	बालिका
01 से 12 तक	500	600

10वी एवं 12वी प्रथम श्रेणी उर्त्तीण छात्र/छात्राओं को 50,000 रू0 दिया जावेगा।

07. चिकित्सा सुविधा–

कंपनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम खनुआ नया टोला मे सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण कराया जावेगा जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औशधालय, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान होगा। इस चिकित्सालय मे परियोजना से विस्थापित/ प्रभावित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

08. महुआ एवं तेन्दूपत्ता संग्रहण भत्ता–

परियोजना क्षेत्र से विस्थापित होने वाला ऐसा कोई भी परिवार का मुखिया जो महुआ या तेन्दू पत्ता का संग्रहण कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था, तो उस व्यक्ति के आवेदन पत्र के आधार पर वन विभाग से पुश्टि कराते हुए सही पाये जाने की दशा में न्यूनतम 500 कार्य दिवसो की भासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम कृशि मजदूरी दर की परिगणित राशि जो रू0 50000/– (पचास हजार) से कम नही होगी, एक मुश्त देय होगी।

09. विस्थापित परिवार को नौकरी, प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति–

(अ)–परियोजना से विस्थापित प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को मध्य प्रदेश के आदर्श पुनर्वास नीति 2002 के अनुरूप परियोजना मे योग्यतानुसार रोजगार/नौकरी उपलब्ध कराने मे प्राथमिकता दी जावेगी। अशिक्षित विस्थापितो को परियोजना क्षेत्र मे हो रहे निर्माण कार्यो में अकुशल श्रमिक के रूप रोजगार उपब्लध कराये जाने मे प्राथमिकता दी जावेगी। परियोजना मे रोजगार के लिए विस्थापित व्यक्ति अपना नाम परियोजना प्रतिनिधियों के पास दर्ज करावेगे। इस कार्य में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच का सहयोग अपेक्षित रहेगा।

(ब)–विस्थापितो को प्रशिक्षण–कम्पनी के द्वारा विस्थापितो के लिए निः ुल्क औद्यौगिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थाओ से आयोजित कराये जावेगे, तथा प्रशिक्षित युवक, युवतियों को कम्पनी द्वारा रोजगार सुनिश्चित किया जावेगा।

छात्रवृत्ति–प्रशिक्षण के दौरान विस्थापित परिवार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें एक सदस्य को योग्यतानुसार 1000/–प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

(स)–स्वयं का रोजगार–कम्पनी के द्वारा विस्थापितो के अन्दर स्वयं का रोजगार स्थापित करने की क्षमता को विकसित करने के लिए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण आयोजित कराये जावेगे।

10. रोजगार की व्याख्या–

- रोजगार से तात्पर्य है कि कम्पनी के द्वारा किसी विस्थापित को अपने परियोजना में सीधे नियुक्ति आदेश जारी करते हुए नियमित रूप से मासिक वेतन दिया जाकर नियमित कर्मचारियों की भॉति नियमित कटौत्रा किया जाता है। यह रोजगार कम्पनी के नियमानुसार होगा। जिसमे Provident Fund, Gratuity एवं अन्य भत्ता प्रदाय होंगे।
- किसी भी व्यक्ति को सहकारी समितियों के माध्यम से या व्यक्तिगत ठेके के माध्यम से रोजगार कार्य मे लिया जावेगा।
- यदि कम्पनी द्वारा विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी मे नही लिया जाता है या वह स्वयं नौकरी नही करना चाहता है तो उस परिवार के एक सदस्य को स्वरोजगार के लिए रू0 5.00 लाख (रू0 पॉच लाख) अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान कंपनी द्वारा किया जावेगा।
- विस्थापितो के द्वारा क्रय किये गये वाहनो को कम्पनी के कार्य मे आवश्यतानुसार लगाये जाने मे प्राथमिकता दी जावेगी।
- पुनर्वास ग्राम खनुआ नया टोला मे निर्मित की गई दुकानो का आवंटन विस्थापित परिवारो को निःशुल्क किया जावेगा इनके लिए 90 प्रतिशत दुकानो का आरक्षण किया जावेगा। उक्त आरक्षण मुख्यतः किराना जनरल स्टोर, दवाई दूध, ब्रेड, लॉण्ड्री, सब्जी, फल आदि की दुकानो के लिए किया जावेगा। इन्ही दुकानो मे से एक दुकान उचित मूल्य की दुकान के लिए सुरक्षित रखी जावेगी। दुकान आवंटन का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगाः–
  1. महिला द्वारा संचालित स्व–सहायता समूह (सभी वर्गो के लिए)।
  2. शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति (सभी वर्गो के लिए)।

3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति।
4. अनुसूचित जाति के व्यक्ति।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति।
6. महिला मुखिया से चलने वाले परिवार के सदस्य (सभी वर्गो के लिए)।
7. बहुविस्थापित परिवार का व्यक्ति (सभी वर्गो के लिए)।
8. सामान्य वर्ग के व्यक्ति।

किन्तु यदि उक्त क्रमांक 01 से 08 तक निश्चित की गई श्रेणियों के आवंटन के लिए पात्र कई व्यक्तियों के आवेदन पत्र दुकान प्राप्त करने के लिए लाये जाते है तो ऐसी स्थिति में दुकान की उपलब्धता के अनुसार लाटरी सिस्टम से उस वर्ग के व्यक्ति को दुकान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

11. **वेरोजगारी भत्ता–**

परियोजना से विस्थापित हो रहे परिवारों मे से हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को एवार्ड दिनांक से 03 वर्श के अन्दर यदि कम्पनी द्वारा रोजगार नही दिया जाता है तो उस व्यक्ति को न्यूनतम शासकीय कृषि मजदूरी दर (MAW)के मान से प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता 7000/–रू. दिया जावेगा। यदि परिवार की मुखिया कोई महिला सदस्य है तो उसे भी जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी, किन्तु यह वेरोजगारी भत्ता विस्थापन दिनांक से 03 वर्श की अवधि तक देय होगा, वसर्ते उस परिवार के एक वयस्क सदस्य को स्व–रोजगार के लिये कम्पनी द्वारा रू0 5.00 लाख एक मुश्त राशि प्रदाय न की गई हो तो

12. **श्रमकारी ठेका समितियो का गठन**–श्रम ठेका समितियो का गठन परियोजना से विस्थापित परिवार के सदस्यो के द्वारा ही किया जावेगा। परियोजना द्वारा जो निर्माण अथवा अन्य कार्य कराये जावेगे उन्हे पूर्ण कराने मे इन समितियों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी। ऐसी स्व–रोजगार समिति एंव समूहो के गठन संबंधी समस्त कार्यवाही कम्पनी द्वारा की जावेगी। इन समितियों का पंजीकरण उप पंजीयक सहकारी समितियॉ के द्वारा किया जावेगा।

जिला प्रशासन कम्पनी और पंजीकृत श्रम समिति के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया जावेगा, जिसके आधार पर ऐसी समिति को परियोजना मे कार्य दिया जा सकेंगा।

13. मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क मे छूट–

परियोजना से प्रभावित/विस्थापित व्यक्तियों द्वारा विस्थापन होने के पश्चात यदि कृशि भूमि खरीदी जाती है तो मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की धारा 29 (3) के तहत विस्थापित परिवारो को कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्रफल के बराबर क्रय की गई भूमि का मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क कम्पनी द्वारा देय होगा। इस कार्य से परियोजना प्रभावित व्यक्तियो द्वारा प्राप्त किये गये मुआवजे का सही उपयोग किया जा सकेगा, और कृषि रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा।

भाग–3

पुनर्वास कालोनी एवं उसमें दी गई सुविधाएँ

01. विस्थापितो के लिए चयनित ग्राम खनुआ नया टोला में पुनर्वास हेतु तैयार किये गये भवनो के साथ जुड़ी हुई निम्नलिखित सुविधाए विस्थापितो को उपलब्ध कराई जावेगीः–

(क) विद्यालय भवन–पुनर्वास कालोनी में विस्थापितो के बच्चो के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु सर्व सुविधा युक्त हायर सेकेण्डरी स्तर का विद्यालय भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा कराया जावेगा। इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियो को खेलने के लिए खेल के उपकरणो सहित खेल के मैदान की व्यवस्था की जावेगी। 12वी के छात्र/छात्राओं को लेपटाप अथवा कम्प्यूटर दिया जावेगा। पुस्तकालय में हर वर्ष 25000/–रू0 (पच्चीस हजार) फण्ड दिया जावेगा। जिसका उपयोग स्कूल के प्राचार्य द्वारा पुस्तक खरीदने में किया जावेगा।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–पुनर्वास कालोनी मे विस्थापितो एवं उनके परिजनो की निःशुल्क चिकित्सा हेतु सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय का निर्माण कम्पनी द्वारा कराया जावेगा।

(ग) सामुदायिक भवन–पुनर्वास कालोनी मे एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जावेगा जो एक हाल, एक कार्यालय कक्ष, एक पुस्तकालय एवं एक भण्डार कक्ष से सुसज्जित होगा।

(घ) हाट बाजार परिसर–विस्थापितो के जीवन से जुड़ी आवश्यक सामग्रियो के प्रदायगी को सुलभ बनाने के लिए पुनर्वास कालोनी परिसर में साप्ताहिक बाजार लगाये जाने के लिए 5000 वर्ग मीटर परिमाप की भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। साप्ताहिक बाजार में लाईट, चबूतरा, टीन शेड, पानी पीने की व्यवस्था, पार्किंग एवं शौचालय का इन्तजाम होगा।

(ड0) सार्वजनिक खेल का मैदान–विस्थापितो के बच्चो को खेलने के लिए पुनर्वास कालोनी में खेल के मैदान हेतु 10000 वर्ग मीटर/एक हेक्टेयर परिमाप मे भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। खेल के मैदान का विकास एवं सुधार कम्पनी द्वारा किया जावेगा। स्टेडियम का निर्माण होगा जिसमें बैठने की सीढ़ीया बनी रहेगी और चार तरफ पेविलियन बनेगी। शौचालय एवं आर0ओ0 प्लांट लगेगा। स्कूल मे खेल कूद हेतु 10,000/– रू0 का फँड प्रतिवर्ष दिया जावेगा।

(च) शुद्ध पेय जल व्यवस्था– विस्थापितो को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हेतु पानी का ओवर हेड टैंक बनाकर पाइप लाईन से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी। यदि यह योजना सफल नही होती तो प्रत्येक 20 परिवार के लिए एक हैण्डपम्प लगाये जाने को प्राथमिकता दी जावेगी।

(छ) उचित मूल्य की दुकान– विस्थापितो को शासकीय दर पर खाद्यान्न सुलभ कराने हेतु एक उचित मूल्य की दुकान की स्थापना की जावेगी।

(ज) ऑगनवाड़ी केन्द्र– विस्थापित परिवारो के बच्चो कुमारी कन्याओं, एवं गर्भवती महिलाओं, के पोशण आहार की सुलभ व्यवस्था के लिए पुनर्वास कालोनी में आगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की जावेगी।

(झ) मंदिर/मस्जिद/गिरिजाघर की स्थापना– पुनर्वास कालोनी मे ग्राम सभा के परामर्श के अनुसार विस्थापितो के धार्मिक अनुश्ठान, पूजन आदि की व्यवस्था के लिए आवश्यकतानुसार मंदिर/मस्जिद/ गिरिजाघर का निर्माण कराया जावेगा।

(ञ) सड़क–विस्थापितो के आवागमन की सुविधा के लिए पुनर्वास कालोनी को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़क एवं कालोनी के अन्दर 09 मीटर

चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जावेगा। इसी के साथ–साथ जल निकासी हेतु सड़क के किनारे–किनारे नाली का भी निर्माण भी किया जायेगा।

(ट) सड़क विद्युत (स्ट्रीट लाईट)–विस्थापितो के प्रकाश युक्त आवागमन की सुविधा के लिए आन्तरिक एवं बाह्य सड़को को विद्युत से प्रकाि ात किया जावेगा।

(ठ) जल प्रवाह के लिए पक्की नालियॉ–विस्थापितो की कालोनी मे बने हुए आवासीय मकानो की जल निकासी के लिए सड़क के किनारे पक्की नालियों का निर्माण कराया जावेगा। जिन्हें ग्राम खनुआ नया टोला मे प्रवाहित नाले से जोड़ा जावेगा। ड्रेनेज सिस्टम को वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट (Water Treatment Plant) से जोड़ा जायेगा।

(ड) श्मसान/कब्रिस्तान– विस्थापितो के उपयोग हेतु कालोनी परिसर की बाह्य सीमा में ग्राम सभा की सहमति के अनुसार श्मसान/कब्रिस्तान रोड युक्त का निर्माण कराया जावेगा।

नोट–परियोजना द्वारा स्थापित पुनर्वास ग्राम की समस्त सुविधाएँ तथा रोड पंचायत भवन इत्यादि ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी।

02. **विशेष पैकेज**–परियोजना प्रभावित वह व्यक्ति जो परियोजना के अधिग्रहण क्षेत्र में धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक के पूर्व लगातार 03 वर्ष से खेती करता चला आ रहा हैं, और उसकी निजी भूमि अर्जित कर ली गई है, किन्तु वह उस ग्राम मे मकान बनाकर आवाद नही है, जिसकी प्रमाणिकता वर्श 2009 के राजस्व अभिलेख से सिद्ध पाई जाती है, तो उन्हें भूमि की प्रतिकर राशि के अतिरिक्त निम्नानुसार विषेश पैकेज कम्पनी द्वारा दिया जावेगाः–

क–0.01 से 0.99 हे0 भूमि पर – रू0 1500 प्रति परिवार प्रति माह।
ख–1.00 हे0 से 1.99 हे0 भूमि पर – रू0 2000 प्रति परिवार प्रति माह।
ग–2.00 हे0 से 3.99 हे0 भूमि पर – रू0 2500 प्रति परिवार प्रति माह।
घ–4.00 हे0 से ऊपर – रू0 3000 प्रति परिवार प्रति माह।

उपरोक्त राशि प्रभावित परिवार के मुखिया को उसकी उम्र 50 वर्श पूर्ण होने तक अथवा 20 वर्श तक अथवा कम्पनी के बन्द होने तक जो भी पहले हो दिया जावेगा। किन्तु उपरोक्त विषेश लाभ उस परिवार को देय नही होगा जिसका कोई भी एक सदस्य परियोजना के रोजगार मे नियोजित हैं।

भाग–4

विवादो का निपटारा–यदि किसी प्रकरण में विस्थापित होने कें संबंध मे विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो प्रभावित व्यक्ति या कम्पनी के अभ्यावेदन पर यदि एवार्ड नही हुआ है तो भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा तथा एवार्ड पारित हो जाने की दशा में जिला पुनर्वास अधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। जिसमें पात्रता निर्धारित करने के लिए वर्श 2009 का राजस्व अभिलेख एवं मतदाता सूची तथा वर्श 2002–03 की गरीबी रेखा सर्वे सूची परिवार रजिस्टर को आधार माना जावेगा। यदि संबंधित व्यक्ति को अपेक्षित अनुतोश नही प्राप्त होता है तो वह कलेक्टर के समक्ष अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसका निराकरण कलेक्टर द्वारा किया जावेगा, तथा कलेक्टर द्वारा दिया निर्णय अंतिम होगा जो कंपनी को मान्य होगा।

अनुमोदित।

कलेक्टर
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

Commissioner
Rewa Division REWA